




## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

(4)

यह अनुमति केवल उक्त नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने उससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गालिकना अधिकारों पर किसी का कोई अरार पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निरंकुशता या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्रीश्री: सुजाता रविश्यामिणी

पिता / पति का नाम श्री रमेश राजू शाह  
 अधिनियम नं. 19/1973 दिनांक 15/01/73 सुलतानपुर जिला लखी रोड  
 मुकदमा नं. 10/24/1973 हालात  
 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, शर्तों के विहित धवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जायेगा।




सचिव  
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
 इलाहाबाद


### नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत गानविन के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा शर्तों के अन्तर्गत निर्माण द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संश्लेषण के साथ वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, श्याप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई गी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े फिफ्टाई अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थानी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजिनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


सुजाता रविश्यामिणी  
 14/10/2011



UPPER GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



STILT FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN


स्वीकृत  
 इमारत अधिनियम (सर्वा)  
 इलाहाबाद विभाग अधिनियम  
 संख्या १९  
 मार विरोधी  
 आगप्रतिरोधी  
 सुरक्षा विभाग  
 सं. वि. १००/१००




टीपिंग -  
 • निम्न स्तरी होने के उपरान्त पूर्णतः  
 प्रमाण एवं मात्र करना अनिवार्य होगा।  
 • मूल्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण की  
 जांचकाल के अन्तर्गत सभी का प्रमाण  
 करना होगा जो निम्नवत् है -  
 अ- मूल्य निर्माण के समय निर्माण समीची  
 न होने के विपरीत प्रमाण न दिया जाये।  
 ब- मूल्य का एक-दूसरे विपरीत भागों की  
 ओर न दिया जाये।  
 ग- प्लान के दस्तावेज पर १०० मिटर सीडी  
 मुद्रित भागों की जांचकाल हेतु कराये रखी  
 जाये।  
 द- मूल्य निर्माण के समय सावधानता प्रभावित  
 न होने जाये।  
 • ससल पर ०२ रु० लगाया जाये।




SECTION AT AB



SITE PLAN




SECTION XX'



FRONT ELEVATION



TERRACE PLAN



23 M FOUNDATION DETAIL

KEY PLAN N.T.S.  
 नगर आयातक, के.स.सं. १२/२२ मु.सं. २२-१-२०११  
 में निर्माण प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत स्वीकृत  
 अन्तर्गत प्रमाण-पत्र हेतु स्वीकृत।

अधिकारी अधिनियम  
 प्रमाण संख्या १००/१००  
 अधिनियम संख्या १९/१९  
 मार विरोधी  
 आगप्रतिरोधी  
 सुरक्षा विभाग

NOTE :-  
 LIME CONC. IN FOUNDATION  
 FLOORING OVER R.C.C. SLAB  
 TOTAL PLOT AREA = 348.18 Sq. M.  
 ROAD WIDENING AREA = 160.15 Sq. M.  
 NET AREA = 188.03 Sq. M.  
 COVERED AREA ON STILT = 75.60 Sq. M.  
 COVERED AREA ON U.G.F. = 75.80 Sq. M.  
 COVERED AREA ON F.F. = 75.60 Sq. M.  
 COVERED AREA ON S.F. = 75.60 Sq. M.  
 OPEN AREA ON G.F. = 113.43 Sq. M.  
 MUMTY AREA = 20.58 Sq. M.  
 ACHIEVED F.A.R. = 1.20  
 NO. OF CAR PARKING = 5 NOS.  
 COMMERCIAL AREA = 143.00 Sq. M.

PROPOSED BUILDING PLAN OF HOUSE NO. - 149/171 &  
 150/173 SULEM SARAI, G.T. ROAD ALLAHABAD, (BAZAR STREET)  
 SCALE 1:100

OWNER  
 SMT. PUJA PAL  
 W/O. LATE. RAJU PAL

Er. V. K. MSHRA  
 Major Engineer  
 Civil Engineering  
 G-39 Indra Enclave,  
 Civil Lines, Allahabad

SIG. OF OWNER

SIG. OF ENG.